

प्रेषक:-

प्राचार्य - सह - अध्यक्ष,  
श्री कृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय,  
मुजफ्फरपुर ।

सेवा में,

- 1) विभागाध्यक्ष, पैथोलौजी विभाग, श्री कृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय, मुजफ्फरपुर ।
- 2) विभागाध्यक्ष, हड्डी रोग विभाग, श्री कृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय, मुजफ्फरपुर ।
- 3) डॉ० उदय कुमार गुप्ता, अपर निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना ।
- 4) जिला पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर ।
- 5) सिविल सर्जन, मुजफ्फरपुर ।

मुज०

दिनांक:-

महाशय,

स्वास्थ्य विभाग के आदेश संख्या - 478(1) दिनांक - 08.04.2016 के आलोक में छपरा पारा मेडिकल इन्स्टीच्यूट, रौजा, भिखारी चौक, बाईपास रोड, छपरा का बिहार पारा मेडिकल/पारा डेन्टल शिक्षण नियमावली - 2005 की कंडिका 6 में निहित प्रावधान के आलोक में पारा मेडिकल डिग्री पाठ्यक्रम संचालित करने की अनुमति देने हेतु 2005 के मानक के अनुरूप स्थल का निरीक्षण एवं निर्धारित मापदंड के आलोक में उपलब्ध आधारभूत संरचना एवं स्टाफ तथा अन्य उपलब्ध आवश्यक सुविधाओं का भौतिक सत्यापन करने हेतु दिनांक - 17.06.2016 को 12:30 बजे तिथि सुनिश्चित किया गया था, परन्तु सचिव, छपरा पारा मेडिकल इन्स्टीच्यूट, रौजा, भिखारी चौक, बाईपास रोड, छपरा के निरीक्षण कार्य में अरुची के कारण उक्त संस्थान का निरीक्षण अगले आदेश तक स्थगित किया जाता है ।

पुनः निरीक्षण की तिथि निर्धारित होने पर इसकी सूचना आप सभी को ईमेल/दूरभाष /निबंधित डाक द्वारा दे दी जाएगी ।

विश्वासभाजन

ह०/-


प्राचार्य/अध्यक्ष

ज्ञापांक:- 1249/16

दिनांक:- 16/6/16

प्रतिलिपि:-

- 1) श्री अनिल कुमार, सरकार के उप सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार सरकार, पटना को उनके आदेश ज्ञापांक-478(1) दिनांक-08.04.2016 के आलोक में सूचनार्थ प्रेषित ।
- 2) सचिव, छपरा पारा मेडिकल इन्स्टीच्यूट, रौजा, भिखारी चौक, बाईपास रोड, छपरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।
- 3) संबंधित स्थापना लिपिक, श्री कृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय, मुज० को सूचनार्थ प्रेषित ।
- 4) I.T. Sec., श्री कृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय, मुज० को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ प्रेषित ।

  
प्राचार्य/अध्यक्ष

मो० - 9470003497

Prof. (Dr.) Bikash Kumar  
Principal  
S.K. Medical College  
Muzaffarpur